भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

30.07.2014 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2820

परमाणु ऊर्जा संयंत्र

2820. श्री गिरिराज सिंह:
श्री विद्युत वरण महतो:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नाभिकीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बिहार और झारखंड राज्यों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए स्थान कौन-कौन से हैं।

(ग) क्या इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले कोई अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नए संयंत्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 17400 मेगावाट क्षमता वाले उन्नीस नए नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों का कार्य शुरू किए जाने की योजना है। भविष्य में, XIIवीं योजना के बाद और अधिक नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को भी स्थापित किए जाने की योजना है।

(ख) वर्तमान में, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति (एसएससी), नाभिकीय विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए बिहार राज्य द्वारा प्रस्तावित स्थलों का मूल्यांकन कर रही है। इस समय झारखंड में एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तथा (घ) स्थल का चयन करने संबंधी मानदंड, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की नाभिकीय विद्युत संयंत्र के स्थल निर्धारण हेतु सुरक्षा प्रक्रिया संबंधी संहिता में निर्धारित किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, भूकंपनीयता, दोषों का पता लगाना, भू-विज्ञान, नींव की स्थिति, मौसम विज्ञान, बाढ़ की संभावना (तटीय स्थलों पर सुनामी, तूफान प्रोत्कर्ष आदि से, और अंत:स्थलीय स्थलों पर वर्षा, ऊपरी बांध के टूटने आदि से) विमानपत्तनों, सैन्य ठिकानों, विस्फोटक और विषाक्त पदार्थों आदि का भंडारण करने वाली सुविधाओं से निकटता आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उस क्षेत्र में भूमि, जल की उपलब्धता, बिजली की मांग और ऊर्जा के अन्य विकल्पों की उपलब्धता भी संभावित स्थलों का मूल्यांकन करने का आधार होती है।

(ङ) नए संयंत्र को स्थापित करने के संबंध में समय-सीमा का निर्धारण, स्थल चयन समिति (एसएससी) द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद, उपयुक्त स्थल का पता लगाने और केन्द्रीय सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक रूप में' उसका अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

****